भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 908

25 जुलाई, 2023 को उत्तर के लिए नियत

“एसीसी के लिए पीएलआई योजना”

908. श्री सय्यद ईमत्याज जलील:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स (एसीसी) हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के अंतर्गत कंपनियों के लिए चयन प्रक्रिया पुन: आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राजसहायता योजना के लिए पात्र कंपनियों का निर्धारण करने हेतु चयन प्रक्रिया के दौरान किन मानदण्डों और मापदण्डों पर विचार किया जाएगा;

(ग) क्या राजसहायता योजना से देश में एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स (एसीसी) के घरेलू उत्पादन को लाभ होने की संभावना है और यदि हां, तो इस क्षेत्र के समग्र विकास पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) क्या और अधिक कंपनियों को समायोजित करने और इस क्षेत्र में अतिरिक्त निवेश को बढ़ावा देने के लिए भविष्य में एसीसी के लिए पीएलआई योजना का और विस्तार करने की कोई योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल्स (एसीसी) के लिए पीएलआई योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले अपेक्षित रोजगार सृजन और कौशल विकास के अवसरों के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): 50 गीगावॉट घंटे में से शेष 20 गीगावॉट घंटे की पुनः बोली लगाने के प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकारी ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पुनः बोली लगाने से पूर्व संबंधित पक्षों से परामर्श किया जा रहा है। संबंधित पक्षों के लिए परामर्श का नोटिस भारी उद्योग मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है और इसका लिंक है-

http://heavyindustries.gov.in/writereaddata/UploadFile/Notice-and-Questionnaire-for-ACC.pdf ।

(ग): जी हां। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 तक भारत में उन्नत रसायन सेल की संभावित मांग परंपरागत आधार पर अनुमानतः 106 गीगावॉट घंटे, जबकि संवर्धित आधार पर 260 गीगावॉट घंटे तक रहने की संभावना है। ऊर्जा भंडारण के मामले में, वर्ष 2030 तक भारत के सबसे बड़ा बाजार बनने की आशा है। इस स्कीम में, भारत में गीगा स्केल उन्नत रसायन सेल और बैटरी विनिर्माण केंद्रों की स्थापना कर तथा अधिकतम घरेलू मूल्यवर्धन पर जोर देते हुए भारत की उन्नत रसायन सेल विनिर्माण क्षमताओं का संवर्धन करने की परिकल्पना की गई है। यह स्कीम मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देगी।

(घ): जी नहीं। उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम को 50 गीगावॉट घंटे से अधिक बढाने की कोई योजना नहीं है। किंतु, शेष 20 गीगावॉट घंटे की पुनः बोली लगाने में और अधिक कंपनियां शामिल हो सकती हैं।

(ड.): 30 गीगावॉट घंटे के लिए चयनित लाभार्थी प्रतिष्ठानों से प्राप्त सूचनानुसार, अनुमानतः लगभग 8628 नियोजन होगा।

***